राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक प. 11(57) गृह–10/2014 जयपुर, दिनांक 15.9.2015

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि आपराधिक मामलों में न्यायालयों में कार्यवाही के दौरान कई बार मुलजिम व गवाह की पहचान के सम्बन्ध में कई परेशानियों का सामना करना पडता है, जिसके कारण न्यायिक कार्यवाहियों में कठिनाई आती है। साथ ही गलत व्यक्ति का गवाह व मुलजिम के रुप में प्रतिरुपण कर उपस्थित हो जाने से न्याय के विफल होने की संभावना हो जाती है।

इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 8.1.2015 के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. पुलिस अनुसंधान के उपरान्त न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट/ आरोप पत्र में परिवादी एवं गवाहों की रंगीन फोटो एवं पहचान पत्र, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाईल नं. , लेण्डलाईन नम्बर, ईमेल पते (यदि हो तो) की प्रति संलग्न करे।

2. पुलिस अनुसंधान के उपरान्त पुलिस आरोप पत्र में मुलजिमान का भी रंगीन फोटो एवं पहचान पत्र, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाईल नं. , लेण्डलाईन नम्बर, ईमेल पते (यदि हो तो)की प्रति संलग्न करे। फर्द गिरफ्तारी पर मुलजिम की फोटो लगाकर थानाधिकारी तस्दीक करे।

3. लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक एवं अभियोजन अधिकारी अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में पेश करते समय आरोप पत्र के साथ लगी फोटो व पहचान पत्र से मिलान करे।

4. उक्त पहचान पत्र में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स , पेन कार्ड, सर्विस आइडेन्टी कार्ड , बैक/ डाकघर पास बुक, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पेंशन डोकोमेन्ट, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, आयुध लाइसेंस, विशेष–योग्यजन प्रमाण पत्र , हेल्थ इन्श्योरेन्स का प्रमाण पत्र, जोब कार्ड , प्रोपर्टी के दस्तावेज में से कोई दस्तावेज, जिस पर उस व्यक्ति की फोटो लगी हुई हो, का उपयोग किया जा सकेगा।

15/9/15
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि को प्रेषित कर निवेदन है कि श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल को उक्त परिपत्र प्रेषित कर परिपत्र की प्रति सभी न्यायालयो में पेश किये जाने की व्यवस्था हेतु निवेदन करे।
3. निजी सचिव, शासन सचिव गृह।
4. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
7. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर ।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. समस्त अधीक्षक केन्द्रीय जेल/जिला कारागृह।
10. समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक।

प्रेम कुमार
अनुभागाधिकारी 15/9/15